इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 11] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 8 जनवरी 2015—पौष 18, शक 1936

कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 जनवरी 2015

क्र. एफ-1-40-2013-बावन-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, हाथकरघा संचालनालय के चतुर्थ श्रेणी सेवा के सदस्यों की भर्ती तथा पदोन्नति हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश हाथकरघा संचालनालय चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती तथा सेवा की शर्तें नियम, 2014 है.

(2) ये मध्यप्रदेश राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. **परिभाषाएं.**—

इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ''नियुक्ति प्राधिकारी'' से अभिप्रेत है आयुक्त/संचालक हाथकरघा एवं हस्तशिल्प या उसका अधीनस्थ कोई अधिकारी जिसे सरकार द्वारा सेवा में या पद पर नियुक्त करने की शक्तियां प्रत्यायोजित की गई है;

(ख) ''समिति'' से अभिप्रेत है चयन समिति या विभागीय पदोन्नति समिति;

(ग) ''परीक्षा'' से अभिप्रेत है नियम 11 के अधीन सेवा में भर्ती के लिए संचालित प्रतियोगिता परीक्षा;

(घ) ''सरकार'' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश सरकार;

(ङ) ''राज्यपाल'' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश के राज्यपाल;

(च) ''अन्य पिछड़े वर्ग'' से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ-8-5/पच्चीस-4/84, दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा यथाविनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;

(छ) ''मण्डल'' से अभिप्रेत है व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल;

(ज) ''अनुसूची'' से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न अनुसूची;

(झ) "अनुसूचित जातियों" से अभिप्रेत है कोई जाति, मूलवंश या जनजाति या किसी जाति, मूलवंश या जनजाति का भाग या उसमें का यूथ जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया हो;

(ञ) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है कोई जनज़ाति या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय का भाग या उसमें का यूथ जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया हो;

(ट) "सेवा" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश हाथकरघा संचालनालय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सेवा;

(ठ) "राज्य" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश राज्य।

3. **विस्तार तथा लागू होना.–**

मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम,1961 में अन्तर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम अनुसूची–एक में यथाउल्लिखित सेवा के प्रत्येक सदस्य को लागू होंगे।

4. **सेवा का गठन.–**

सेवा निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर गठित होगी, अर्थात् :–

(1) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारम्भ होने के समय अनुसूची–एक में विनिर्दिष्ट पद मूल रूप से या स्थानापन्न रूप से धारण कर रहे हों;

(2) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारम्भ होने के पूर्व सेवा में भर्ती किए गए हों; और

(3) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किए गए हों।

5. **वर्गीकरण, वेतनमान आदि.– (1)** सेवा का वर्गीकरण, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या तथा उनसे संलग्न वेतनमान अनुसूची–एक में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार होंगे :

परन्तु सरकार, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में समय–समय पर, या तो स्थायी या अस्थायी आधार पर वृद्धि या कमी कर सकेगी।

(2) सेवा के सदस्य वित्त विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ–11/1/2008/नियम–4 दिनांक 24.01.2008 तथा क्र. एफ–11/1/2008–नियम 4 दिनांक 30.10.2010 के उपबंधों के अधीन समयमान वेतन के हकदार होंगे।

6. **भर्ती का तरीका.–** (1) इन नियमों के प्रारम्भ होने के पश्चात्, सेवा में भर्ती निम्नलिखित किसी एक तरीके से की जाएगी, अर्थात् :–

(क) प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा/चयन या साक्षात्कार या दोनों द्वारा;

(ख) अनुसूची–चार के कालम (3) में यथाविनिर्दिष्ट सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा;

(ग) ऐसे व्यक्तियों के स्थानान्तरण द्वारा, जो ऐसी सेवाओं में ऐसे पद, जो कि इस निमित्त सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, मूल रूप से या स्थानापन्न रूप से धारण करते हों।

(2) उपनियम (1) के खण्ड (ख) या खण्ड (ग) के अधीन भर्ती किए गए व्यक्तियों की संख्या, अनुसूची–एक में विनिर्दिष्ट पदों की संख्या के अनुसूची–दो में दर्शाये गये प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी।

(3) इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, सेवा में किसी विशेष रिक्ति को, जिन्हें भर्ती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरा जाना अपेक्षित हो, भरने के प्रयोजन के लिए अपनाया जाने वाला तरीका या तरीके तथा प्रत्येक तरीके द्वारा भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या प्रत्येक अवसर पर सरकार द्वारा अवधारित की जाएगी।

(4) उपनियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि सरकार की राय में सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए ऐसा करना अपेक्षित हो तो वह सामान्य प्रशासन विभाग तथा संचालनालय के पूर्व अनुमोदन के पश्चात् उक्त उपनियम में, सेवा में भर्ती के लिए विनिर्दिष्ट तरीकों से भिन्न ऐसे अन्य तरीके अपना सकेगी, जैसे कि वह इस निमित्त जारी आदेश द्वारा विहित करे।

7. **सेवा में नियुक्ति.–** इन नियमों के प्रारम्भ होने के पश्चात्, सेवा में समस्त नियुक्तियां, सरकार द्वारा की जाएंगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति नियम 6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के तरीकों में से किसी एक तरीके द्वारा चयन के पश्चात् ही की जाएगी, अन्यथा नहीं।

8. **सीधी भर्ती के लिए पात्रता की शर्तें.**— किसी अभ्यर्थी को चयन के लिए, परीक्षा के लिए पात्र होने हेतु निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी, अर्थात् :—

(एक) आयु :—

(क) उसने परीक्षा चयन होने की तारीख की आगामी प्रथम जनवरी को अनुसूची—तीन के कालम (3) में यथा विनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो किन्तु उक्त अनुसूची के कालम (4) में विनिर्दिष्ट आयु पूरी न की हो;

(ख) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयु—सीमा अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(ग) उन अभ्यर्थियों के संबंध में जो मध्यप्रदेश सरकार के कर्मचारी हैं या रह चुके हैं, उच्चतर आयु—सीमा, नीचे विनिर्दिष्ट सीमा तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए शिथिलनीय होगी :—

(एक) कोई अभ्यर्थी जो स्थायी सरकारी सेवक हो 45 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए;

(दो) कोई अभ्यर्थी जो अस्थायी रूप से कोई पद धारण कर रहा हो तथा किसी अन्य पद के लिए आवेदन कर रहा हो, 45 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। यह रियायत आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समितियों में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी;

(तीन) कोई अभ्यर्थी, जो छंटनी किया गया सरकारी सेवक है, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु—सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण – शब्द ''छंटनी किया गया सरकारी सेवक'' से द्योतक है ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की या किसी भी संघटक इकाई की अस्थायी सरकारी सेवा में छह मास तक निरन्तर रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना रजिस्ट्रीकरण कराने या शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया हो।

(चार) किसी ऐसे अभ्यर्थी को, जो भूतपूर्व सैनिक है, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गयी समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, बशर्ते इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण – शब्द ''भूतपूर्व सैनिक'' से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो और जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छह मास की कालावधि तक निरन्तर नियोजित रहा है और जिसकी किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना रजिस्ट्रीकरण कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व, मितव्ययिता इकाई की सिफारिश के फलस्वरूप या स्थापना में सामान्य रूप से कमी किए जाने के कारण छंटनी की गई हो या जो अतिशेष घोषित किया गया हो अर्थात् –

(1) ऐसा भूतपूर्व सैनिक जिसे समय पूर्व सेवानिवृत्त (मस्टरिंग आउट कन्सेशन) रियायतों के अधीन निर्मुक्त कर दिया गया हो।

(2) ऐसा भूतपूर्व सैनिक जिसे दूसरी बार नामांकित किया गया हो, और जिसे

(क) अल्पकालीन वचनबंध पूर्ण हो जाने पर,

(ख) नामांकन संबंधी शर्तें पूर्ण हो जाने पर,

सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो।

(3) मद्रास सिविल यूनिट के ऐसे भूतपूर्व कार्मिक।

(4) संविदा पूरी होने पर सेवोन्मुक्त किये गये ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) जिसमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी सम्मिलित हैं।

(5) ऐसे अधिकारी/ कर्मचारी जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर निरन्तर छह मास से अधिक समय तक कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो।

(6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग किया गया है।

(7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया है कि अब वे दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं हैं।

(8) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें गोली लग जाने तथा घाव आदि हो जाने के कारण सेवा से अलग कर दिया गया हो।

(घ) आदिमजाति, अनुसूचित जाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम के अधीन पुरस्कृत दम्पत्तियों के उच्च जाति के सवर्ण पति–पत्नी के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(ङ) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रीन कार्ड धारक अभ्यर्थियों के संबंध में सामान्य उच्चतर आयु सीमा 2 वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(च) विधवा, निराश्रित व तलाकशुदा महिला अभ्यर्थियों के संबंध में सामान्य आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी :

(छ) "विक्रम पुरस्कार" धारी अभ्यर्थियों के संबंध में उच्चतर आयु–सीमा पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(ज) उन अभ्यर्थियों के संबंध में जो मध्यप्रदेश राज्य निगम/मण्डलों के कर्मचारी हैं, उच्चतर आयु अधिकतम 45 वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(झ) स्वयंसेवी नगर सैनिकों तथा नान कमीशन्ड अधिकारियों के संबंध में उनके द्वारा इस प्रकार की गई नगर सेना सेवा की कालावधि की सामान्य उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 3 वर्ष तक के अध्यधीन रहते हुए शिथिलनीय होगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए;

(ञ) निराश्रित अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयु सीमा राज्य सरकार द्वारा, समय समय पर जारी किए गए निर्देशों के अनुसार शिथिलनीय होगी।

टिप्पणी.—(1) ऐसे अभ्यर्थी जो उपर्युक्त नियम 8 (एक) (ग) तथा (दो) में उल्लिखित रियायतों के अधीन परीक्षा चयन हेतु पात्र पाए जाते हैं, नियुक्ति के पात्र नहीं

होंगे, यदि आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् या तो वे परीक्षा/चयन के पूर्व या उसके पश्चात् सेवा से त्यागपत्र दे देते हैं तथापि, यदि आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् उनकी सेवा या पद से छंटनी की गई हो तो वे नियुक्ति के पात्र बने रहेंगे। किसी भी अन्य मामले में ये आयु सीमाएं शिथिलनीय नहीं होंगी।

(2) विभागीय अभ्यर्थियों को चयन में प्रवेश के लिए नियुक्ति प्राधिकारी की अनुज्ञा अभिप्राप्त करनी होगी।

(3) सभी प्रवर्गों के लिए, समस्त छूट रियायतों को सम्मिलित करते हुए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(दो) शैक्षणिक अर्हता.— अभ्यर्थी के पास सेवा के लिए ऐसी अपेक्षित शैक्षणिक अर्हताएं होना चाहिए जो अनुसूची—तीन में विनिर्दिष्ट की गई हैं।

(तीन) फीस.— अभ्यर्थी को संचालनालय द्वारा इस निमित्त विहित की गई फीस का संदाय करना होगा।

9. निरर्हता.—

(1) अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए सहायता प्राप्त करने हेतु किसी भी साधन से किया गया कोई भी प्रयास संचालनालय द्वारा, उनके परीक्षा/चयन में बैठने के संबंध में, निरर्हता के रूप में माना जाएगा।

(2) कोई भी अभ्यर्थी जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी भी सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

(3) कोई भी व्यक्ति जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हों जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु कोई भी ऐसा अभ्यर्थी जिसकी पहले से ही एक जीवित संतान हो, तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, जिसमें दो या दो से अधिक जीवित संतान का जन्म होता है, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं होगा।

(4) कोई भी अभ्यर्थी जिसे महिलाओं के विरूद्ध किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु जहां किसी न्यायालय में अभ्यर्थी के विरूद्ध ऐसा कोई मामला लंबित है, वहां उसकी नियुक्ति का मामला आपराधिक प्रकरण में अन्तिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा।

(5) पुरूष अभ्यर्थी जिसकी पहले से ही एक से अधिक पत्नी जीवित हों और महिला अभ्यर्थी जो ऐसे पुरूष से विवाह करती है जिसकी पहले से ही पत्नी जीवित है, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगी।

10. **अभ्यर्थियों की पात्रता के सम्बन्ध में मण्डल का विनिश्चय अंतिम होगा.**— चयन में प्रवेश देने या अन्यथा के लिए किसी अभ्यर्थी की पात्रता के बारे में मण्डल का विनिश्चय अंतिम होगा और किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को, जिसे मण्डल द्वारा प्रवेश प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया हो, चयन के लिए पात्र नहीं समझा जाएगा और ऐसी रिक्ति सरकार की पूर्व अनुज्ञा के बिना अन्य अभ्यर्थियों से भरी जाएगी।

11. **प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से सीधी भरती.**— (1) सेवा में चतुर्थ श्रेणी पदों पर भरती के लिए प्रतियोगिता परीक्षा तथा साक्षात्कार ऐसे अंतरालों पर किया जाएगा जैसे कि सरकार समय—समय पर मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल के परामर्श से अवधारित करे।

(2) मण्डल द्वारा ऐसे आदेशों के अनुसार परीक्षा आयोजित की जाएगी जो कि सरकार, मण्डल के परामर्श से समय समय पर जारी करे।

(3) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के लिए सीधी भरती के प्रक्रम पर मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) में अंतर्विष्ट उपबंधों और राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर जारी आदेशों के अनुसार पद आरक्षित रहेंगे।

(4) इस प्रकार आरक्षित पदों को भरने में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के नामों पर नियुक्ति के लिए उसी क्रम में विचार किया जाएगा जिस क्रम में उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आए हों भले ही अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक रैंक कुछ भी हो।

(5) समिति द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के ऐसे अभ्यर्थियों को जो सेवा में नियुक्ति के लिए उपयुक्त पाए जाएं, प्रशासन में दक्षता बनाए रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए, यथास्थिति, अनुसूचित

जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा।

(6) यदि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी उपलब्ध न हों तो शेष रिक्तियां सरकार की पूर्व अनुमति के बिना अन्य प्रवर्गों से नहीं भरी जाएंगी और ये रिक्तियां अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए अगले चयन के लिए आरक्षित रखी जाएंगी।

12. **मण्डल द्वारा सिफारिश किए गए अभ्यर्थियों की सूची.–**

(1) मण्डल, चयनित अभ्यर्थियों की गुणागुण के आधार पर सूची, जिन्होंने ऐसे मानकों से अर्हता प्राप्त की हो जो कि मण्डल द्वारा अवधारित किए गए हों तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के ऐसे अभ्यर्थियों की एक सूची, जिन्होने यद्यपि उन मानकों से अर्हता प्राप्त न की हो किंतु जिन्हें प्रशासन में दक्षता बनाए रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए मण्डल द्वारा सेवा में नियुक्ति के लिए उपयुक्त घोषित किया गया हो, तैयार तथा अग्रेषित करेगी। सूची आम जानकारी के लिए भी प्रकाशित की जाएगी।

(2) इन नियमों तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए अभ्यर्थियों का उपलब्ध रिक्तियों पर नियुक्ति के लिए उसी क्रम में विचार किया जाएगा जिस क्रम में उनके नाम सूची में आए हों।

(3) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित हो जाने से उसे नियुक्ति के लिए तब तक कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता जब तक कि सरकार का ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसी कि आवश्यक समझी जाए, यह समाधान नहीं हो जाता हैं कि अभ्यर्थी, सेवा में नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है।

(4) चयन सूची, मण्डल द्वारा जारी किए जाने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि तक वैध रहेगी, जो संचालनालय की सहमति से छह मास की कालावधि तक के लिए बढ़ाई जा सकेगी।

13. **परिवीक्षा.–** सेवा में सीधी भर्ती किए गए प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा।

14. **पदोन्नति द्वारा नियुक्ति.**— (1) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति के लिए चयन करने के लिए अनुसूची—चार में समाविष्ट सदस्यों से मिलकर एक समिति गठित की जाएगी :

परंतु पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पद के संबंध में विभागीय पदोन्नति समिति की अध्यक्षता करने वाले सदस्य से भिन्न नामनिर्दिष्ट सदस्य अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है तो अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग से उसी हैसियत का एक सदस्य विभागीय पदोन्नति समिति में सम्मिलित किया जाएगा और विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों की संख्या उस सीमा तक बढ़ा दी जाएगी।

(2) सेवा में सदस्यों की पदोन्नति के लिए समिति की बैठक सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 24.4.2013 के अनुसार प्रत्येक वर्ष माह जनवरी—फरवरी तथा अगस्त—सितम्बर में दो बार अनिवार्य रूप से होगी, जैसा कि वे उचित समझे।

(3) नियुक्ति प्राधिकारी उसके द्वारा जारी किया गया पदोन्नति आदेश पर इस आशय का एक प्रमाण पत्र पृष्ठांकित करेगा, कि उसने मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) तथा मध्यप्रदेश पदोन्नति नियम, 2002 के उपबंधों तथा उक्त अधिनियम एवं राज्य सरकार द्वारा बनाए नियमों के उपबंधों के प्रकाश में जारी अनुदेशों का अनुपालन किया है।

(4) आरक्षित वर्ग की रिक्तियों में पदोन्नति की प्रक्रिया इसके बारे में समय समय पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार होगी।

15. **पदोन्नति के लिए पात्रता की शर्तें.**— (1) उपनियम (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, समिति उन सभी व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी जिन्होंने उस वर्ष की 1 जनवरी को उस पद पर, जिससे कि पदोन्नति की जाना है, उतने वर्षों की सेवा (चाहे स्थानापन्न या मूल रूप से) राज्य सरकार द्वारा अनुसूची चार के कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट उनके समतुल्य घोषित पद या पदों पर पूर्ण कर ली हो और जो उपनियम (2) के अनुसार विचारण क्षेत्र में आते हों :

परंतु किसी कनिष्ठ व्यक्ति को, पदोन्नति के लिए केवल इस आधार पर उससे वरिष्ठ व्यक्तियों पर अधिमान नहीं दिया जाएगा कि उसने सेवा की विहित कालावधि पूर्ण कर ली है।

(2) अभ्यर्थियों की पदोन्नति के विचारण क्षेत्र के लिए मध्यप्रदेश पदोन्नति नियम, 2002 के उपबंध यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

16. **उपयुक्त व्यक्तियों की सूची का तैयार किया जाना.–** (1) समिति, उपयुक्त व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी जो नियम 15 में अधिकथित शर्तों को पूरा करते हो, और जो पदोन्नति के लिए पात्र हैं। यह सूची, चयन सूची तैयार किए जाने की तारीख से 1 वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति/पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त होगी।

(2) चयन सूची तैयार करने के लिए मापदण्ड मध्यप्रदेश पदोन्नति नियम, 2002 के उपबंधों के अनुसार होगा।

(3) चयन सूची में सम्मिलित किए गए व्यक्तियों के नाम अनुसूची चार के कालम (3) में यथा विनिर्दिष्ट सेवा या पदों पर ज्येष्ठता के क्रम में रखे जाएंगे।

स्पष्टीकरण.– कोई व्यक्ति जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित किया गया हो, केवल उसके पूर्ववर्ती चयन के तथ्य से ही उन व्यक्तियों के ऊपर जिन पर कि पश्चात्वर्ती चयन में विचार किया गया है, वरिष्ठता का कोई दावा नहीं करेगा।

(4) इस प्रकार तैयार की गई सूची प्रतिवर्ष पुनर्विलोकित तथा पुनरीक्षित की जाएगी।

(5) चयन, पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान यदि सेवा के किसी सदस्य को अधिक्रमित किया जाना प्रस्तावित है तो समिति, प्रस्तावित अधिक्रमण के लिए अपने कारण अभिलिखित करेगी।

17. **चयन सूची.–** (1) सरकार द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित की गई चयन सूची, अनुसूची चार के कालम (1) में वर्णित पदों से उक्त अनुसूची के कालम (2) में वर्णित पदों पर सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिए सूची होगी।

(2) चयन सूची सामान्यतः जब तक कि उसका नियम 16 के उपबंधों के अनुसार या तो उसका पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण नहीं कर लिया जाता, तब तक प्रवृत्त रहेगी किन्तु उसकी विधिमान्यता उसे तैयार किए जाने की तारीख से 18 मास की कुल कालावधि से परे नहीं बढ़ाई जाएगी :

परंतु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से आचरण या कर्तव्यों के निर्वहन में गंभीर चूक होने की दशा में सरकार की प्रेरणा पर चयन सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और संचालनालय यदि वह उचित समझे, ऐसे व्यक्ति का नाम चयन सूची से हटा सकेगी।

18. **चयन सूची से सेवा में नियुक्ति.**—

(1) चयन सूची में सम्मिलित व्यक्तियों की सेवा के संवर्ग पदों पर नियुक्ति उसी वरिष्ठता के क्रम में की जाएगी जिसमें कि ऐसे व्यक्ति के नाम चयन सूची में आए हों।

(2) किसी ऐसे व्यक्ति की, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित हो, सेवा में नियुक्ति के पूर्व आयोग से परामर्श करना तब तक आवश्यक नहीं होगा जब तक कि चयन सूची में उसका नाम सम्मिलित किए जाने और प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख के बीच की कालावधि के दौरान उसके कार्य में ऐसी कोई भी गिरावट न आ गई हो जो सरकार की राय में ऐसी हो जो सेवा में नियुक्ति के लिए उसे अनुपयुक्त ठहराती हो।

19. **निर्वचन.**— यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत होता है तो वह सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिसका उस पर विनिश्चय अन्तिम होगा।

20. **शिथिलीकरण.**— इन नियमों में की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह ऐसे किसी व्यक्ति के मामले में, जिसे यह नियम लागू होते हैं, राज्यपाल की ऐसी रीति में, जो उसे न्यायसंगत तथा साम्यापूर्ण प्रतीत होती हो, कार्रवाई करने की शक्ति को सीमित या कम करती है :

परन्तु कोई मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जाएगा जो इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उस व्यक्ति के लिए कम अनुकूल हो।

21. **व्यावृत्ति.**— इन नियमों में अंतर्विष्ट कोई भी बात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्ग के लिए राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में, समय—समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार, उपबंध किए जाने हेतु अपेक्षित आरक्षण, शिथिलीकरण तथा अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी।

22. **निरसन तथा व्यावृत्ति.**— इन नियमों के तत्स्थानी समस्त नियम मध्यप्रदेश हाथकरघा संचालनालय चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती नियम, 1985 और इन नियमों के अन्तर्गत आने वाले विषयों के संबंध में, एतद्द्वारा निरसित किए जाते हैं :

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किए गए किसी आदेश या की गई किसी कार्रवाई के संबंध में यह समझा जाएगा कि वह इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया आदेश या की गई कार्रवाई है।

अनुसूची – एक

(नियम 4 तथा 5 देखिए)

सेवा का वर्गीकरण, वेतनमान और सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या

अनु क्रमांक	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	अभ्युक्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	दफ्तरी	01	मध्यप्रदेश हाथकरघा संचालनालय चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2014	एस–1–4440–7440+1400	
2.	भृत्य	72	–तदैव–	एस–1–4440–7440+1300	
3.	चौकीदार	22	–तदैव–	एस–1–4440–7440+1300	

अनुसूची – दो

(नियम 6 देखिए)

अनु क्रमांक	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की संख्या	भरे जाने वाले पदों की संख्या की प्रतिशतता		अन्य सेवाओं से स्थानांतरण यदि कोई हो
			सीधी भर्ती द्वारा (नियम6(1)(क),(4))	पदोन्नति द्वारा (नियम 6 (1)(ख))	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	दफ्तरी	01	–––	100 %	
2.	भृत्य	72	100 %	–––	
3.	चौकीदार	22	100 %	–––	

अनुसूची – तीन
(नियम 8 देखिए)
सीधी भर्ती के लिए आयु तथा पात्रता

विभाग का नाम	पद या सेवा का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता	अभ्युक्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	भृत्य	18 वर्ष	40 वर्ष	आठवी परीक्षा उत्तीर्ण	—
2.	चौकीदार	18 वर्ष	40 वर्ष	आठवी परीक्षा उत्तीर्ण	—

अनुसूची – चार
(नियम 13 देखिए)

उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	उस पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	पदोन्नति के लिए सेवा की न्यूनतम कालावधि	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
भृत्य	दफ्तरी	5 वर्ष	1. अतिरिक्त संचालक / संयुक्त संचालक, ग्रामोद्योग (हाथकरघा / तकनीकी) अध्यक्ष 2. संयुक्त संचालक / उप संचालक, ग्रामोद्योग (हाथकरघा / तकनीकी) सदस्य 3. संयुक्त संचालक / उप संचालक, ग्रामोद्योग (हाथकरघा / तकनीकी) प्रभारी स्थापना सदस्य

No. F-1-40-LII-1.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following rules relating to the recruitment and promotion of members of Class IV Service of the Directorate of Handloom, namely:—

RULES

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Madhya Pradesh Directorates of Handlooms Class IV Services, (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2014.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Madhya Pradesh Gazette.

2. Definitions. - In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Appointing Authority" means the Commissioner/Director Handlooms and Handicraft or any other officer subordinate to him to whom the powers of appointment to service or post have been delegated by the Governor;

(b) "Committee" means the Selection Committee or the Departmental Promotion Committee;

(c) "Examination" means a competitive examination for recruitment to the service held under rule 11;

(d) "Government" means the Government of Madhya Pradesh;

(e) "Governor" means the Governor of Madhya Pradesh;

(f) "Other Backward Classes" means the Other Backward Classes of citizens as specified by the State Government vide Notification No. F 85/XXV/4/84 dated 26 December, 1984, as amended from time to time;

(g) "Board" means the Professional Examination Board, Bhopal;

(h) "Scheduled" means Schedules appended to these rules;

(i) "Scheduled Castes" means any caste, race or tribe or part of or group within a caste, race or community specified as Schedule Castes with respect to the State of Madhya Pradesh under Article 341 of the Constitution of India;

(j) "Scheduled Tribes" means any tribe, tribal community or part of or group within a tribal community specified as Scheduled Tribe with respect to the State of Madhya Pradesh under Article 342 of the Constitution of India;

(k) "Service" means the Madhya Pradesh Directorates of Handlooms Class IV Employees Services;

(l) "State" means the State of Madhya Pradesh.

3. Scope and application. – Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Madhya Pradesh Civil Service (General Conditions of Service) Rules, 1961 these rules shall apply to every members of the Service as mentioned in Schedule-I.

4. Constitution of the Service. – The Service shall consist of the following persons, namely: -

(a) the persons who at the time of commencement of these rules are holding any post substantively or in the officiating capacity which is specified in Schedule-I;

(b) the persons recruited to the Service before the commencement of these rules; and

(c) the persons recruited to the Service in accordance with the provisions of these rules.

5. Classification of Service, Scale of Pay, etc. – (1) The classification of the Service, the scale of pay attached thereto and the number of posts included in the service shall be in accordance with the provisions contained in Schedule-I:

Provided that the Government may, from time to time, add to or reduce the number of posts included in the Service, either on a permanent or temporary basis.

(2) Members of the Service shall be entitled to Time Pay Scale under the provisions of the Circular No.F-11/1-2008-Niyam-4 dated 24.02.2008 and No.F-11/1-2008-Niyam-4 dated 30.10.2010 issued by the Finance Department.

6. Method of recruitment. – (1) Recruitment to the service, after the commencement of these rules shall be made by one of the following methods, namely: -

(a) by direct recruitment through Competitive Examination/Selection or interview or by both;

(b) by promotion of the members of the service, as specified in column (1) of Schedule IV;

(c) by transfer of persons who holds in a substantive or in officiating capacity such posts in such services, as may be specified in this behalf by the Government.

(2) The number of persons recruited, under clause (b) or clause (c) of sub-rule(1) shall not at any time exceed the percentage as specified in Schedule-II of the number of posts as specified in Schedule-I.

(3) Subject to the provisions of these rules, the method or methods of recruitment to be adopted for the purpose of filling up any particular vacancy in the service, as may be required to be filled up during any particular period of recruitment and the number of persons to be recruited by each method shall be determined on each occasion by the Government.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (l), if in the opinion of the Government the exigencies of the service so require, it may after prior concurrence of the General Administration Department and the Directorate may adopt such method of recruitment to the service, other than those specified in the said sub-rule, as it may, by order issued in this behalf, prescribe.

7. Appointment to the Service. – All appointments to the service after the commencement of these rules shall be made by the Government and no such appointment shall be made except after selection by one of the methods of recruitment specified in rule 6.

8. Conditions of eligibility for direct recruitment. – In order to be eligible for selection for examination a candidate must satisfy the following conditions, namely: -

I. **Age.-**

(a) He must have attained the age as specified in column (3) of Schedule III and have not attained the age as specified in column (4) of the said Schedule on the first day of January next following the date of commencement of the examination / selection.

(b) The upper age limit shall be relaxed up to a maximum of 5 years if a candidate belongs to a Scheduled Castes or a Scheduled Tribes and Other Backward Classes.

(c) The age limit shall also be relaxable in respect of candidates who are or have been employees of the Government of Madhya Pradesh to the extent and subject to the conditions specified below:-

(i) a candidate who is a permanent Government Servant shall not be more than 45 years of age;

(ii) a candidate who is holding post temporarily and applying for another post shall not be more than 45 years of age. This concession shall also be admissible to the contingency paid employees, work charged employees and employees working in the Project Implementing Committees;

(iii) a candidate, who is a retrenched Government servant, shall be allowed to deduct from his age the period of all temporary service previously rendered by him up to a maximum limit of 7 years, even if it represents more than one spell:

Provided that the resultant age shall not exceed the upper age limit by more than 5 years.

Explanation- The term retrenched Government Servant denotes a person who was in temporary Government service of the State or of any constituent units, for a continuous

period of six months and who was discharged because of reduction in establishment, not more than three years' prior to the date of his registration at employment exchange or of application made otherwise for employment in Government service;

(iv) a candidate, who is an ex-serviceman, shall be allowed to deduct from his age the period of all defense service previously rendered by him:

Provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation- The term "ex-servicemen" denotes a person who belongs to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continuous period of not less than six months and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of the Economy Unit or due to normal reduction in establishment not more than three years before the date of his registration at any employment exchange or of application made otherwise for employment in Government Service namely:-

(1) Ex-servicemen released under mustering out concessions.

(2) Ex-servicemen enrolled for the second time and discharged on

(a) Completion of short term engagement;

(b) Fulfilling the conditions of enrollment;

(3) Ex-personnel from Madras Civil Unit.

(4) Officers (Military and Civil) discharged on completion of their contract including Short Service Regular Commissioned Officer.

(5) Officers discharged after working for more than six months continuously against leave vacancies.

(6) Ex-servicemen invalidated out of service.

(7) Ex-servicemen discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldiers.

(8) Ex-servicemen who are medically boarded out on account of gun-shot, wounds etc.

(d) The upper age limit shall be relaxable upto five years in respect or awarded superior caste partner of couple under the Inter caste Marriage Incentive Programme of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes Welfare Department.

(e) The upper age limit shall be relaxable upto five years in respect of widow, destitute and divorced woman candidate.

(f) The upper age limit shall be relaxed upto a maximum of 2 years for those candidates who holds 'Green Card' under the Family Planning Programme.

(g) The upper age limit shall be relaxable upto a maximum period of 5 years in respect of Vikram Awarded candidate.

(h) The upper age limit shall be relaxed upto 45 years in respect of candidate who are employees of any of the Madhya Pradesh State Corporation or Board.

(i) The general upper age limit shall be relaxed in case of Voluntary Home-guards and Non-Commissioned Officers of Home-guards for a period of service rendered by them subject to the limit of 3 years but in no case their age shall exceed 45 years.

(j) The upper age limit shall be relaxable to the destitute candidates as per instructions issued by the State Government from time to time.

NOTE-(1) Candidates, who are admitted to the examination/selection under the concessions mentioned in rules 8(1) (c) (i) and (ii) above shall not be eligible for appointment, if after submitting the application, they resign from service either before or after examination/selection. They shall, however, continue to be eligible if they are retrenched from the service or post after submitting the application. In no other case their age limit shall be relaxed.

(2) Departmental candidates shall obtain permission of the Appointing Authority to appear for the selection.

(3) The maximum age limit shall not exceed more than 45 years for all categories including all types of age relaxations.

II. Educational Qualifications.- A candidate must possess the requisite educational qualifications for the service as specified in Schedule III.

III. Fees.- The candidate must pay the fees prescribed by the Directorate in this behalf.

9. Disqualifications. – (1) Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by the Directorate to disqualify him for appearing in the examination/ selection.

(2) No candidate shall be eligible for appointment to the service, who is married before the minimum age fixed for marriage.

(3) No person shall be eligible for appointment to the service or post who has more than two living children one of whom is born on or after the 26^{th} day of January, 2001:

Provided that no candidate shall be disqualified for appointment to a service or post who has already one living child and next delivery takes place on or after 26^{th} day of January, 2001 in which twin or more than two children are born.

(4) No candidate shall be eligible for appointment for a service or post who has been convicted for an offence against women:

Provided that where such cases are pending in a court against a candidate, his case of appointment shall be kept pending till the final decision of the criminal case.

(5) Male candidate who already have more than one wife alive and female candidates who marries a male who has one wife already alive shall not be eligible for appointment.

10. Decision of the Board about the eligibility of candidate shall be final. – The decision of the Board as to the eligibility or otherwise of candidate for admission to selection shall be final and no candidate, to whom certificate of admission has not been issued by the Board shall be eligible for selection and such vacancy shall be filled up from the other candidates without prior permission of the Government.

11. Direct Recruitment through Competitive Examination.– (1) The competitive examination and interview for recruitment on Class IV posts of the service shall be held at such intervals as the Government may, in consultation with the Madhya Pradesh Vyavasayik Pariksha Mandal determine, from time to time.

(2) The examination shall be conducted by the Board in accordance with such orders, as the Government may issue in consultation with the Board, from time to time.

(3) There shall be reserved posts for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes at the stage of the direct recruitment in accordance with the provisions contained in the Madhya Pradesh Lok Seva (Anusuchit Jatiyaon, Anusuchit Jan Jatiyion Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and as per orders issued by the State Government in this behalf, from time to time.

(4) In filling the vacancies so reserved, candidates who are members of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in rule 12 irrespective of their relative rank as compared with other candidates.

(5) Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes declared by the Committee to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency of administration, may be appointed to the vacancies reserved for the candidates of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, as the case may be.

(6) If a sufficient number of candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes are not available for filling up all the vacancies reserved for them, the remaining vacancies shall not be filled up by the candidates of any other category without prior permission of the Government and these vacancies shall be kept reserved for candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes for the next selection.

12. List of candidates recommended by the Board. - (1) The Board shall prepare and forward a list of the selected candidates arranged in the order of merit, who have qualified by such standard as determined by the Board and a list of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, who though not qualified by that standard, are declared by the Board to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency in administration. The list shall also be published for general information.

(2) Subject to the provisions of these rules and of the Madhya Pradesh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, candidates shall be considered for appointment to the available vacancies from the list in the order of merit in which their names appear in the list.

(3) The inclusion of a candidate's name in the list confers no right to appointment unless the Government is satisfied after such inquiry, as may be considered necessary, that the candidate is suitable in all respect for appointment to the service.

(4) The selection list shall be valid for a period of one year from the date of issue by the Board, which shall be extended for the period of six months with the consent of Directorate.

13. Probation. – Every person directly recruited to the service shall be appointed on probation for a period of 2 years.

14. Appointment by promotion. – (1) There shall be constituted a Committee for making selections for promotion of the eligible candidates consisting of the members mentioned in Scheduled IV:

Provided that if the nominated Member other than the Member presiding over the Departmental Promotion Committee in respect of the posts to be filled up by the promotion do not represent category of Scheduled Castes or Scheduled Tribes then one Member belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes category of the same status shall be included in the Departmental Promotion Committee and the number of members of Departmental Promotion Committee shall be extended to that limit.

(2) The Committee shall compulsorily meet twice in year that is in the month January-February and August-September every year for the promotion of the members in the service in accordance with the circular issued by the General Administration Department dated 24.04.2013 at such intervals as it thinks fit but ordinary not exceeding one year.

(3) The Appointing Authority shall endorse on the promotion order to be issued by him, a certificate to the effect that he has complied with the provisions of the Madhya Pradesh Lok Seva (Anusuchit Jatiyaon, Anusuchit Jan Jatiyaon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and the Madhya Pradesh Promotion Rules, 2002 and the instructions issued in the light of the provisions of the said Adhiniyam and the Rules made by the State Government.

(4) Procedure for making promotions in the vacancies of the reserved category shall be in accordance with the instructions issued by the General Administration Department in this behalf from time to time.

15. Conditions of eligibility for promotions. – (1) Subject to the provisions of sub-rule (2), the committee shall consider the cases of all the persons, who have completed such number of years of service (whether officiating or substantive) as specified in column (3) of Schedule IV on the 1st day of January of that year in which the post which the promotion is to be made or any other post declared equivalent thereto by the Government and are within the zone of consideration in accordance with the provisions of sub-rule (2):

Provided that any junior person shall not be given preference over the senior person for promotion only on the ground that he has completed prescribed service mentioned in this sub-rule.

(2) For the zone of consideration of promotion of the candidate the provisions of the Madhya Pradesh Promotion Rules, 2002 shall apply mutatis mutandis.

16. Preparation of List of suitable candidate. – (1) The Committee shall prepare a list of suitable persons who qualify the conditions laid down in rule 15, who are eligible for promotion. The list shall be sufficient to cover the anticipated vacancies on account of retirement and promotion during the course of one year from the date of preparation of selection list.

(2) The criteria for preparation of select list shall be as per the provision of Madhya Pradesh of Promotion Rules, 2002.

(3) The name of persons included in the select list shall be arranged in the order of seniority in the service or post as specified in column (3) of Schedule IV.

Explanation.- A person whose name is included in a select list shall have no claim to seniority over those considered in a subsequent selection merely by the fact of his earlier selection.

(4) The list so prepared shall be reviewed and revised every year.

(5) If in the process of selection, review or revision is proposed to supersede any member of the service, the Committee shall record reasons for the proposed supersession.

17. Select list. – (1) The select list as finally approved by the Government shall be the list for promotion for the members of the service from the posts given in column (1) of Schedule-IV to posts mentioned in column (2) of Schedule IV.

(2) The select list shall ordinarily remain in force till it is either reviewed or revised as per the provisions of rule 16 but its legal validity shall not be extended beyond a period of 18 months from the date of its preparation:

Provided that in the event of a grave lapse in the conduct or performance of duties on the post of any person included in the select list, special review of the select list may be made at the instance of the Government and the Directorate may, if deems fit, may remove the name of such person from the select list.

18. Appointment to the service from the select list. – (1) Appointments of the persons included in the Select List to the posts borne on the cadre of service shall follow the order of seniority in which the names of such persons appear in the select list.

(2) If shall not ordinarily be necessary to consult the commission before the appointment of a person whose name is included in the select list to the service unless during the period intervening between the inclusion of his name in the select list and the date of his proposed appointment, there occurs any deterioration in his work which in the opinion of the Government is such as to render he is unsuitable for the appointment to the service.

19. Interpretation. – If any question arises relating to the interpretation of these rules it shall be referred to Government, whose decision shall be final thereon.

20. Relaxation. – Nothing in these rules shall construed to limit or abridge the powers of the Governor to deal with the case of any person to whom these rules apply, in such manner, as may appear to him to be just and equitable:

Provided that the case shall not be dealt with any manner less favorable to the person than that is provide in these rules.

21. Savings. – Nothing in these rules shall affect reservations relaxation and other conditions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes in accordance with the orders issued by the State Government, from time to time in this regard.

22. Repeal and Saving.– The Madhya Pradesh of Handlooms Directorate Class-IV Service Recruitment Rules, 1985, and all rules corresponding to these rules are hereby repealed in respect of matter covered by these rules:

Provided that any order made or any action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कुसुम ठाकुर, उपसचिव.

SCHEDULE-I
(see rule 4 and 5)

Classification of Service, Pay Scale and Number of Post included in the Service

S.N.	Name of the post included in the service	Number of Posts	Classification	Scale of Pay	Remark
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Daftari	01	Madhya Pradesh Directorate of Handlooms Class IV Services (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2014	S – 1- 4440-7440+1400	
2.	Peon	72	-do-	S – 1- 4440-7440+1300	
3.	Choukidar	22	-do-	S – 1- 4440-7440+1300	

SCHEDULE-II
(see rule 6)

SN	Name of the Post included in the service	Total No. of Posts	Percentage of the number of post to be filled in		Transfer from other services, if any
			By direct recruitment [rule 6(1)(a)]	By promotion [rule 6(1)(b)]	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Daftari	01	---	100%	
2.	Peon	72	100%	---	
3.	Choukidar	22	100%	---	

SCHEDULE-III
(see rule 8)

Age and Eligibility for Direct Recruitment

Name of Department	Name of the Post or service	Minimum Age Limit	Maximum Age Limit	Minimum Educational Qualification	Remark
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Peon	18 years	40 years	8th Pass	-
2.	Choukidar	18 years	40 years	8th Pass	-

SCHEDULE-IV
(see rule 13)

Name of the Post from which Promotion is to be made	Name of Post to which promotion is to be made	Minimum period of service for promotion	Name of Members of Departmental Promotion Committee	
(1)	(2)	(3)	(4)	
Peon	**Daftari**	**5 Year**	1. Additional Director/Joint Director Gramodyog (Handloom / Technical)	**Chairman**
			2. Joint Director/Deputy Director Gramodyog (Handloom / Technical)	**Member**
			3. Joint Director/Deputy Director Gramodyog (Handloom / Technical) Incharge Establisment	**Member**

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.